बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

डे-मेल

पटना, दिनांकः– 29.8.18

संख्याः–9/आरोप (राज0) (उ0)–2–06/2012 2966 / श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर को रू0 10,000/–(दस हजार) रूपये घूस लेने के आरोप में निगरानी धावादल द्वारा निगरानी थाना कांड सं0–069/2009 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–086/2009 दर्ज किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 यथासंशोधित 2007 के नियम–14 (xi) के प्रावधान के अतंर्गत विभागीय अधिसूचना सं0–2744 दिनांक–27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया था।

2. श्री कुमार, द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–18674/15 दायर किया गया जिस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–11.09.2017 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः–

"Having regard to the facts discussed above, this writ petition is allowed and the impungned order dated 27.06.2014 (Annexure-22) is set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority to proceed a fresh from the stage of asking second show cause and pass order in accordance with law within a period of four months from the date of receipt of this order".

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल0 पी0 ए0 दायर करने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा कर नियमानुसार आदेश पारित करने का आदेश पारित किया गया है। चूँकि श्री कुमार सेवा से बर्खास्त थे अतएव न्यायादेश के अनुपालनार्थ द्वितीय कारण पृच्छा करने के लिये उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का विभागीय प्रस्ताव में मंत्रिपिरषद् की दिनांक 27.12.2017 की बैठक में मद सं0–3 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, के विरूद्ध संसूचित बर्खास्तगी के दण्डादेश सं0–2744 दिनांक–27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः विभागीय अधिसूचना सं0–5192 दिनांक–28.12.2017 द्वारा सेवा में बहाल किया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुये विभागीय पत्रांक–08 दिनांक–02.01.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।

5. श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय बचाव वयान दिनांक 19.01.2018 को समर्पित किया गया, जिसमें द्वेष की भावना से फसाने की बात बतायी गयी है तथा उन्हीं बातों को पुनः दोहराया गया है जो उनके द्वारा विभागीय जांच आयुक्त सह–संचालन–पदाधिकारी से समक्ष रखा गया था।

6. निगरानी द्वारा प्रतिवेदित प्रत्यानुपातिक 'धर्नाजन' के संबंध में श्री कुमार के द्वारा तार्किक एवं प्रमाणिक तथ्य अपने द्वितीय बचाव वयान में समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार द्वारा रिश्वत लेना एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। विभागीय जांच आयुक्त सह–संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये जांच प्रतिवेदन के असहमति के बिन्दुओं पर द्वितीय बचाव वयान में तार्किक एवं प्रमाणिक जबाव प्राप्त नहीं होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1445 दिनांक 20.04.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

7. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1238 दिनांक 01.08.2018 द्वारा परामर्श दिया गया है कि पूर्व में आयोग के पत्रांक–617 दिनांक 10.06.2014 द्वारा बर्खास्तगी के विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। किसी ऐसे मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जहाँ आयोग किसी पूर्व में दिए जाने वाले आदेश के बारे में अपनी सलाह दे चुका हो और उसके बाद कोई नया निर्धारणीय प्रश्न न उठा हो। अतएव पुनः आयोग का परामर्श आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

8. अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2018 में मद सं0–23 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –9/आरोप (राज0) (उ0)–2–06/2012 2966 / पटना, दिनांकः– 29.8.18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/8/18
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 9/आरोप (राज0) (उ0)–2–06/2012 2966 / पटना, दिनांकः– 29.8.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/18
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2966 दिनांक- 29.8.18

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–24.08.2018 के मद संख्या–23/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उपायुक्त उत्पाद, पटना–सह–मगध प्रमंड़ल, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना शाखा–5/आई0 टी0 मैनेजर एवं श्री संजय कुमार, अधीक्षक उत्पाद सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–उपायुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना–सह–मगध प्रमंड़ल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/18
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।